प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2016 प्र0सु0रि0स0 05
   दिनांक 08.08.2016
2. धारा 7, भा0द0स0 थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला
3. (क) अपराध की घटना : 08.08.2016
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 08.08.2016 समय 5:40 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 07
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थलः (क) दूरी लगभग पूर्व दिशा 90 कि0मी0 जिला यमुनानगर।
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता
   नाम जोरा सिंह
   पिता का नाम जोगिन्द्र सिंह
   राष्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय खेतीबाड़ी का काम
   पता गाव बसातियांवाला थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   संजीव कुमार जे0ई0 बिजली बोर्ड बिलासपुर, जिला यमुनानगर।
   लिंग पुरूष
   भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

सेवा मे इन्सपैक्टर, विजिलैन्स यमुनानगर, श्रीमान जी, निवेदन है कि मै गांव बसातियांवाला तहसील बिलासपुर थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर का रहने वाला हॅू और खेतीबाड़ी का काम करता हॅू मैने अपनी कृषि भूमि की सिंचाई करने के लिए नये टयूबवैल का कनैक्शन लेने के लिए वर्ष दो हजार तेरह (2013) मे सिक्योरिटी बिजली बोर्ड बिलासपुर मे भरी थी और बाद मे पोल व ट्रांसफार्म के पैसे भी जमा करवा दिये थे बिजली बोर्ड बिलासपुर के सन्जीव जे0ई0 ने मेरे खेत मे पोल लगवाकर ट्रांसफार्म रखवा दिया हैअब मेरा तारें लगवाकर कनैक्शन करना बकाया है जो इस बारे मे मै सन्जीव जे0ई0 उतरी हरियाणा बिजली वितरण निगम बिलासपुर से कई बार मिला और उसको मैने अपने टयूबवैल का कनैक्शन करने बारे कहा तो उसने मेरे से चार हजार रूपये रिश्वत के मांगे और मेरे मना करने पर भी सन्जीव जे0ई0 ने मेरे से तीन चार दिन पहले दो हजार रूपये रिश्वत के ले लिये ओर कहने लगा कि जब तू दो हजार रूपये और रिश्वत के देगा

तो तभी मै तेरा कनैक्शन करवाउंगा सन्जीव जे0ई0 ने दो हजार रूपये रिश्वत के लेकर आज मेरे को अपने बिलासपुर बिजली बोर्ड के दफतर मे बुलाया है अगर मै सन्जीव जे0ई0 को दो हजार रूपये नही दूॅगा तो वह मेरे टयूबवैल का कनैक्शन नही करेगा और मै उसको यह दो हजार रूपये रिश्वत नही देना चाहता और मै उसे दो हजार रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूॅ। कृप्या सन्जीव जे0ई0 बिजली बोर्ड बिलासपुर के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूॅ। कृप्या उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये। **हस्ताक्षरः—** जोरा सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह वासी गावं बसातियांवाला थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर मो0न0 9991314495 दिनांक 08.08.2016 **कार्यवाही पुलिसः—** इस समय मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर हूॅ जो जोरा सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह गांव बसातियांवाला, थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर ने एक उपरोक्त लिखित दरखास्त मुझे पेश की जो दरखास्त से सरेदस्त जुर्म जेरधारा 7 PC ACT 1988 का सरजद होना पाया जाता है जिस पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सिपाही शीश कुमार न0 408/अम्बाला के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा पर्चा न0 से सूचित किया जावे वा स्पेशल रिपोर्ट मुकदमा हजा बजरिया स्पेशल मैसेन्जर सेवा मे ईलाका मैजीस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जावे, मन निरीक्षक मय एस0आई पूर्ण सिंह न0 2/17/HAP, HC संजय कुमार न0 575/कुरूक्षेत्र, HC मशरूफ अली न0 206/अम्बाला मय मुदई पुत्र जोगिन्द्र सिंह बा सवारी गाड़ी सरकारी टाटा सूमो न0 HR 68—6180 मय चालक ई0एच0सी0 सतीश कुमार न0 261/कुरूक्षेत्र के बराये करने पूरी ओपचारिकताये रेड रवाना उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर का होता हूॅ, रेडिंग किट, तफतीशी बैग, लैपटाप मय प्रिन्टर हमराह लिया गया। **अजः—** SVB/YNR **हस्ताक्षरः—** प्रेमचन्द निरीक्षक, अनुसंधान अधिकारी, रा0चौ0ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर, दिनांक **08.**08.2016 समय 5:40 पी0एम0 **अज थानाः—** उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके स्पेश्ल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट जगाधरी की सेवा मे व असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस बर मौका निजद निरीक्षक प्रेमचन्द बदस्त आरिन्दा सिपाही शीश कुमार न0 408/अम्बाला के भिजवाई जा रही है व नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जा रही है।

अनुसंधान अधिकारीः—   निरीक्षक प्रेम चन्द राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर।

ईलाका मैजीस्ट्रेटः—   जगाधरी

बदस्त सिपाही शीश कुमार न0 408/अम्बाला

निरीक्षक (सुरेश कुमार)
थाना रा0चौ0 ब्यूरो, पचंकूला।